

भारत सरकार
कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
लखनऊ मण्डल, केन्द्रीय भवन
अलीगंज, लखनऊ- 226024
फोन नं. 0522-2745904, 2328220

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक झाँसी दुर्ग, झाँसी के मुख्य द्वार पर स्थित पार्किंग स्थल से 2017-2018 के लिए पार्किंग शुल्क वसूली हेतु निविदा संबंधी निर्धारित नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं:-

- 1- पार्किंग ठेके हेतु द्वि लिफाफा निविदा प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2017-18 की पार्किंग ठेके हेतु निविदायें आमंत्रित की जायेगी।
- 2- तकनीकी निविदा (बिड) निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत की जायेगी जिसके साथ निम्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :-
 - A. निविदादाता का मतदाता पहचान पत्र /आधार कार्ड ।
 - B. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र(न्यूनतम रु.10/-लाख) ।
 - C. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
 - D. पैन कार्ड की छायाप्रति ।
 - E. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र ।
 - F. इस आशय का शपथ पत्र कि निविदा दाता को पूर्व में किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट (काली सूचीबद्ध) नहीं किया गया है तथा निविदादाता पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।
 - G. इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता का कोई रिश्तेदार/ सम्बन्धी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सेवारत नहीं है ।
- 3- जो निविदादाता तकनीकी रूप से अर्ह होंगे उन्हीं की वित्तीय निविदा को खोला जायेगा ।
- 4- निविदादाता द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी निविदा को पृथक-पृथक लिफाफा में सीलबन्ध किया जायेगा तथा उन पर 'पार्किंग हेतु तकनीकी निविदा' व 'पार्किंग हेतु वित्तीय निविदा' अंकित करेंगे । इन दोनों लिफाफा को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्ध कर लिफाफे के ऊपर पार्किंग स्थल (झाँसी दुर्ग मुख्य द्वार वाहन पार्किंग 2017-18) का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- 5- यदि उपरोक्तनुसार निविदायें प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6- वित्तीय निविदा के साथ बतौर धरोहर राशि के रूप में रु.34,500/- (चौतीस हजार पाँच सौ मात्र) एफ0डी0आर0 या सी0डी0आर0 जो अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदादाता के निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 7- सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षित जमाराशि के रूप में अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के नाम देय रु.70,000/- (सत्तर हजार मात्र) मूल्य के एफ.डी.आर. जमा करना होगा जो निविदा अवधि पूरी होने पर उपमण्डल प्रभारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।
- 8- सफल निविदा दाता को प्रस्तावित की गयी निविदा राशि की 50 प्रतिशत धनराशि दिनांक: 01-07-2017 तक डी0डी0 के रूप में जमा किया जायेगा जिसके उपरान्त ही कब्जा लेटर दिया जायेगा। अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि दिनांक: 31-07-2017 तक अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के नाम डी0डी0 के रूप में जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
- 9- वर्ष 2017-18 के लिए निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.500/- प्रति निविदा निर्धारित है। **निविदा प्रपत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वेबसाइट www.asi.nic.in अथवा eprocure.gov.in पर उपलब्ध है।** निविदा प्रपत्र के साथ मूल्य रु.500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट 'अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ' के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है तभी निविदा स्वीकार्य होगी ।
- 10- पार्किंग शुल्क वसूली की अनुमति दिनांक **01.07.2017** से या कार्यादेश पत्र जारी करने की तिथि से दिनांक **30.06.2018** तक के लिए ही मान्य होगी तथा पार्किंग शुल्क वसूली की उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर निविदादाता का कब्जा /ठेका स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 11- उक्त पार्किंग स्थल के लिये आमंत्रित की जा रही निविदाओं हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक **07.06.2017** से **21.06.2017** तक **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वेबसाइट www.asi.nic.in अथवा eprocure.gov.in** से प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदादाता को अपना पैन कार्ड नम्बर तथा मोबाईल नम्बर सुस्पष्ट निविदा प्रपत्र पर अंकित करना अनिवार्य है । दिनांक **22.06.2017** को प्रातः **11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं तथा **उसी दिन अपराह्न 03:30 बजे** मुख्यालय स्थित अधीक्षण पुरातत्वविद् द्वारा गठित निविदा कमेटी के समक्ष खोली जायेंगी ।
- 12- निविदा धनराशि पर लागू समस्त सर्विस टैक्स एवं अन्य कर जमा करने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।
- 13- निविदादाता द्वारा दी गई निविदानुसार किसी भी शर्त का उल्लंघन या किसी अन्य विवाद की स्थिति में पार्किंग ठेका स्वीकृत करने /अस्वीकार करने/निरस्त करने, धरोहर राशि जब्त करने/ठेका उच्च आफर पर दे देने का अधिकार अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ

निविदादाता के हस्ताक्षर

मण्डल, लखनऊ में निहित है। अधीक्षण पुरातत्वविद् का निर्णय अन्तिम, सर्वमान्य तथा बाध्यकारी होगा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती देने से पूर्व निविदा की सभी शर्तों का पालन करने हेतु शपथ पत्र देते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। मा0 न्यायालय लखनऊ परिक्षेत्र होगा।

- 14- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित चौहद्दी में कोई कमी अथवा वृद्धि हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 15- पुलिस विभाग या माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा निविदा क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण हटा दिया जाता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्तरदायी नहीं होगा। यह प्रक्रिया आपदा, दंगा, कर्फ्यू अथवा जिला प्रशासन द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध अथवा यातायात व्यवस्था परिवर्तन के कारण पार्किंग बन्द रहने पर यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्तरदायी नहीं होगा और निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
- 16- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित चौहद्दी स्थल में ही निर्धारित दरों के अनुसार पार्किंग शुल्क वसूली का अधिकार निविदादाता को होगा तथा स्थल पर वसूली करने हेतु निविदादाता द्वारा नियुक्त कार्मियों को नीले रंग की तथा आसमानी रंग की शर्ट एवं पूर्ण विवरण सत्यापित फोटो, आवासीय पता, चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा तथा परिचय पत्र, कार्मिक को गले में पहनना अनिवार्य होगा।
- 17- पार्किंग स्थल पर खड़े होने वाले वाहनों की सुरक्षा की दृष्टि से, वाहन खड़े होने से पूर्व गहन जाँच कराने की व्यवस्था निविदादाता को अपने व्यय पर करना होगा।
- 18- पार्किंग स्थल का कार्यकाल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही प्रभावी होगा। इस अवधि के पूर्व या बाद में सम्बन्धित स्थल पर किसी प्रकार का कब्जा या उपयोग अवैध माना जायेगा। इस सूचना को भी सूचना पट पर लिखना होगा
- 19- पार्किंग स्थल के निविदादाता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित निम्न प्रारूप के अनुसार कूपन स्वयं के व्यय पर छपवायेगा तथा प्रत्येक कूपन पर टोकन नम्बर, निविदा स्थल की सीमा, निविदादाता का नाम/पता/फोन नम्बर, पार्किंग की दरों का स्पष्ट उल्लेख करेगा। निविदादाता द्वारा केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित चौहद्दी/स्थल में ही पार्किंग शुल्क वसूल किया जायेगा। टोकन प्रयोग करने से पूर्व उसका सत्यापन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उप मण्डल कार्यालय से कराना होगा जिस पर उप मण्डल के संरक्षण सहायक से नीचे के स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं होंगे। इन सभी कूपनों का इन्द्राज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रजिस्टर में दर्ज कराकर सत्यापनकर्ता की मोहर लगवाना अनिवार्य होगा। सत्यापन के उपरान्त कूपन

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रयोग में लाये जायेंगे। बिना सत्यापन के कूपन प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर कम से कम रु.10,000/- का अर्थ दण्ड देय होगा ।

कूपन/रसीद	रसीद सं०
पार्किंग स्थल का नाम:	स्मारक झाँसी दुर्ग मुख्य द्वार वाहन पार्किंग
ठेकेदार का नाम:	मोबाइल नम्बर:
दरें:- बस	रु. 100.00 प्रति चार घंटा ।
मिनी बस	रु. 80.00 प्रति चार घंटा ।
कार एवं चार पहिया वाहन	रु. 20.00 प्रति चार घंटा ।
स्कूटर/मोटर साइकिल	रु. 10.00 प्रति चार घंटा।
साईकिल	रु. 5.00 प्रति चार घंटा ।

उपरोक्त दरों से अधिक की वसूली वाहन मालिकों से किये जाने, निर्धारित दर का कूपन न प्रयोग करने, वर्दी न धारण करने, परिचय पत्र न लगाने अथवा इस संबंध में की गयी शिकायत सही पाये जाने पर पांच लाख से कम तक के निविदादाता से रु.20,000/- तथा पांच लाख से अधिक धनराशि के निविदादाता से रु.50,000/- अथवा बीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, तक का जुर्माना वसूल किया जायेगा । पुनः उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त कर सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

- 20- पार्किंग स्थल के कार्यकाल (सूर्योदय से सूर्यास्त) के उपरान्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित किसी अन्य आयोजन पर पार्किंग शुल्क वसूल करने का अधिकार निविदादाता को होगा ।
- 21- निविदा की अवधि में शासन/अन्य विभाग द्वारा लगाये गये कर शुल्क आदि की अदायगी का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।
- 22- निविदा उस समय तक स्वीकृत नहीं समझी जाएगी जब कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति न दे दी जायें।
- 23- पार्किंग स्थल पर 4X2.5 फिट का सूचना पट्ट जिस पर निविदादाता का नाम व पता, स्थल की चौहद्दी एवं दर की सूची अंकित हो निविदादाता द्वारा लगवाया जायेगा जिसकी देखरेख व सुरक्षा का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा एवं क्षति होने पर प्रतिपूर्ति निविदादाता ही करेगा। पार्किंग स्थल का प्रयोग निर्धारित वाहन पार्किंग से भिन्न किसी अन्य प्रकार से नहीं किया जायेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- 24- न्यायालय अथवा जनहित में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/शासन द्वारा आदेश के अन्तर्गत निविदा समाप्त होने की दशा में निविदादाता बिना किसी आपत्ति के भूमि को खाली करके कब्जा तत्काल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप देगा । ऐसी दशा में निविदादाता की शेष समय की अनुपातिक धनराशि बिना ब्याज के कास चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी किन्तु निविदा के दौरान यदि कुछ अवधि की कटौती जनहित में आवश्यकतानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/शासन अथवा माननीय न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत की जाती है तो इस क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर नहीं होगा और न ही निविदादाता द्वारा इस हेतु कोई दावा प्रस्तुत किया जायेगा ।
- 25- निविदादाता और वाहन स्वामी के बीच उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद एवं वाहन की क्षतिपूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा । निविदादाता तथा उसके कर्मचारी द्वारा पार्किंग क्षेत्र में किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। वाहन और उसमें रखे किसी अथवा लगी किसी एसेसरीज के खोने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा ।
- 26- निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर कूपन उस व्यक्ति को देना अनिवार्य होगा जिससे पार्किंग शुल्क की वसूली की जानी है । बिना कूपन के कोई भी वाहन पार्किंग स्थल पर खड़ा नहीं किया जायेगा ।
- 27- मा0 सांसद, मा0 विधायक, केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रीगण, मा0 न्यायमूर्ति/मा0न्यायाधीशगण, विदेशी दूतावासों के अधिकारी, विकलांग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी/कर्मचारी के वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे अर्थात् इनसे निविदादाता कोई धनराशि नहीं वसूल करेगा। विकलांगजनों के वाहन पार्किंग हेतु पार्किंग स्थल पर स्वयं के व्यय पर निविदादाता द्वारा बोर्ड लगाकर स्थान सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- 28- यदि पार्किंग स्थल का कब्जा संबंधित निविदादाता को दिये जाने के पश्चात किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है अथवा किसी पक्षकार द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उस दशा में निविदादाता द्वारा लिखित प्रत्यावेदन अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऐसे प्रकरणों पर निर्णय करने का अधिकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सक्षम प्राधिकारी का होगा जो अंतिम होगा ।
- 29- वाहनों की पार्किंग, स्थल की चौहद्दी के अनुसार होगी और कार्य आदेश में अंकित होगी। जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सीमांकित किया जायेगा और उसी के अन्दर वाहन खड़े कराने होंगे ।
- 30- स्वीकृत निविदा वर्ष के दौरान जनहित में शासन, प्रशासन अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्णय द्वारा अवधि से पूर्व समाप्त की जाती है तो निविदादाता को समानुपातिक धनराशि में छूट दी जायेगी ।
- 31- निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल को निर्धारित अवधि के बीच में छोड़ देने पर जमा धनराशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जायेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- 32- पार्किंग स्थल पर सफल निविदादाता द्वारा किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण नहीं कराया जायेगा और न ही पार्किंग चौहद्दी में किसी भी प्रकार की दुकान इत्यादि लगवाई/लगाई जायेगी और न ही बांस, टट्टर आदि से घेर कर अथवा अन्य प्रकार से अतिक्रमण किया जायेगा ऐसा करने पर निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- 33- वाहन पार्किंग क्षेत्र में शराब/नशीले पदार्थों का लाया जाना अथवा सेवन पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा । उल्लंघन की स्थिति में निविदादाता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ।
- 34- निविदादाता द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी नोटिस के निविदा निरस्त कर दें, तथा निविदादाता द्वारा जमा धनराशि जब्त कर लें ।

पार्किंग स्थल का विवरण:केन्द्रीय संरक्षित स्मारक झाँसी दुर्ग, झाँसी के मुख्य द्वार पर वाहन पार्किंग ।

निविदा खोलने का स्थान:-कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, नवम् तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

अधीक्षण पुरातत्वविद्
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

क्रम सं. 1 से 34 तक उपरोक्त शर्तों को पढ़ कर समझ लिया तथा अनुपालन हेतु ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

भारत सरकार
कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
लखनऊ मण्डल, केन्द्रीय भवन
अलीगंज, लखनऊ- 226024

तकनीकी निविदा

कार्य का नाम: केन्द्रीय संरक्षित स्मारक झाँसी दुर्ग के मुख्य द्वार पर 2017-18 के लिए वाहन पार्किंग हेतु तकनीकी निविदा।
वाहन स्टैण्ड ठेका अवधि: 01.07.2017 से 30.06.2018
ठेकेदार का नाम व पता:.....

मोबाइल सं.:

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक झाँसी दुर्ग के मुख्य द्वार पर स्थित पार्किंग स्टैण्ड पर पार्किंग शुल्क वसूली के संबंध में निविदादाता द्वारा निम्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाती है :-

क्रम सं.	प्रपत्र/अभिलेख का नाम	संलग्न किया गया है या नहीं (हाँ या नहीं में उत्तर दें)
A	निविदादाता का मतदाता पहचान पत्र /आधार कार्ड ।	
B	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र (न्यूनतम रु.10लाख)।	
C	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।	
D	पैन कार्ड की छायाप्रति ।	
E	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र ।	
F	इस आशय का शपथ पत्र कि निविदा दाता को पूर्व में किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट (काली सूचीबद्ध) नहीं किया गया है तथा निविदादाता पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।	
G	इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता का कोई रिश्तेदार/ सम्बन्धी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सेवारत नहीं है	

निविदादाता के हस्ताक्षर



प्रलकीर्तिमपावृणु

भारत सरकार

कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

लखनऊ मण्डल

हाल नं.1, नवम् तल, केन्द्रीय भवन,

अलीगंज, लखनऊ 226024

वित्तीय निविदा

निविदा प्रपत्र का मूल्य: 500/-झाँसी दुर्ग वाहन स्टैण्ड 2017-18 के निविदा कार्य हेतु कम संख्या.....फा.स.: 10-12/81/17-18-एम.

ठेकेदार का नाम एवं पता.....

निविदा खुलने की तिथि: 22/06/2017 समय 3.30 बजे अपराह्न निविदा डाउनलोड करने की तिथि: 07/06/2017 से 21/06/2017 तक

कार्य का नाम: स्मारक झाँसी दुर्ग, झाँसी के मुख्य द्वार पर स्थित वाहन पार्किंग की नीलामी हेतु निविदा ।

मैं इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए निविदा के तहत निम्नलिखित ज्ञापन के अनुसार वर्णित स्थल निर्दिष्ट समय के भीतर और ठेकेदार की शर्तों के अधीन उसमें निर्दिष्ट दरों पर विनिर्देश के अनुसार निविदा प्रस्तुत:-

ज्ञापन (i) धरोहर धनराशि : रू. 34,500/-

(ii) न्यूनतम निविदा धनराशि : रू. 6,90,000/-

(iii) कार्य का स्थान: केन्द्रीय संरक्षित स्मारक झाँसी दुर्ग के मुख्य द्वार पर स्थित वाहन पार्किंग स्थल ।

कम सं.	कार्य का विवरण	अवधि	कुल राशि (अंको में)	कुल राशि (शब्दों में)
1	केन्द्रीय संरक्षित स्मारक झाँसी दुर्ग, झाँसी के मुख्य द्वार पर स्थित वाहन पार्किंग स्थल की निविदा	01.07.2017 से 30.06.2018 तक		

ठेकेदार के हस्ताक्षर

निविदा स्वीकार होने की स्थिति में, मैं/हम एतद्द्वारा यहाँ उल्लेख की गयी शर्तों के सभी नियमों और प्रावधानों को पूरा करने के लिए सहमत हूँ/हैं। ऐसा न होने की स्थिति में शर्तों के अनुसार जमा की गयी धनराशि को जब्त कर भारत के राष्ट्रपति या कार्यालय में नामित अधिकारी को भुगतान कर दिया जाय।

एतद्द्वारा रू.....(.....) एफडीआर/सीडीआर संख्या दिनांक धरोहर धनराशि के रूप में जमा की जाती है। ऊपर दिये गये ज्ञापन के अनुसार यदि मैं कार्य शुरू करने में असफल या ज्ञापन के अनुसार प्रतिभूति धनराशि जमा करने में असफल रहता हूँ तो ऊपर वर्णित शर्तों एवं नियमों के अनुसार मेरे द्वारा जमा की गयी धनराशि भारत के राष्ट्रपति या उनके नामित अधिकारी के कार्यालय को, जमा की धनराशि रोकें जाने हेतु मैं सहमत हूँ। आगे मैं इस पर भी सहमत हूँ कि यदि मैं प्रतिभूति धनराशि जमा करने में असफल रहूँ तो भारत के राष्ट्रपति या उनके नामित अधिकारी के कार्यालय को इस निविदा को रद्द करने की आजादी होगी।

ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं पता

पैन नम्बर :

मोबाईल नम्बर :

ठेकेदार के हस्ताक्षर के गवाह के
हस्ताक्षर एवं पता:

1.

2.

उक्त निविदा भारत के राष्ट्रपति ओर से मेरे द्वारा स्वीकार की जाती है।

दिनांक..... 20

अधिकारी के हस्ताक्षर
जिसके द्वारा
निविदा स्वीकार की गयी

भारत सरकार
कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
लखनऊ मण्डल, केन्द्रीय भवन
अलीगंज, लखनऊ- 226024
फोन नं. 0522-2745904, 2328220

निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा केन्द्रीय संरक्षित स्मारक झाँसी दुर्ग, झाँसी के मुख्य द्वार पर वाहन पार्किंग के ठेके के लिए मोहरबंद निविदाएं के.लो.नि.वि./लो.नि.वि./नगर निगम/एम.ई.एस./रेलवे की सूची में पंजीकृत/ अनुमोदित ठेकेदारों से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, नवम् तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ में निविदा पेटी में दिनांक 22/06/2017 के अपरान्ह 03.00 बजे तक डाली जा सकती हैं जो कि उसी दिन अपरान्ह 03.30 बजे तक खोली जाएगी।

निविदा प्रपत्र,नियम व शर्तें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट www.asi.nic.in अथवा eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट से प्राप्त किये जायेंगे एवं निविदा के साथ रु.500/- मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट, निविदा प्रपत्र के मूल्य के रूप में 'अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ' के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है ।

वाहन पार्किंग अवधि: (सूर्योदय से सूर्योस्त तक)

वाहन पार्किंग का शुल्क :

1. बस : रु.100/- प्रति चार घंटा
2. मिनी बस : रु. 80/- प्रति चार घंटा
3. कार/जीप : रु. 20/-प्रति चार घंटा
4. स्कूटर/मोटर साईकिल : रु. 10/-प्रति चार घंटा
5. साईकिल : रु. 05/-प्रति चार घंटा

वाहन स्टैण्ड ठेका अवधि: 01.07.2017 से 30.06.2018

निविदा खोलने का स्थान:-कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, लखनऊ मण्डल, नवम् तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

ह0/-

अधीक्षण पुरातत्वविद्